8/7/14

पत्रावली पत्रावली [illegible] पर पेश हुई, पार्टी ने उपस्थित होकर स्वीकार किया कि पार्टी पर पेश हुई, पार्टी ने उपस्थित होकर स्वीकार किया कि परस्पर प्रकरण में समझौता अकोर्ट की कार्यवाही में नहीं लगाया था, मुझे भी इस प्रकार प्रकरण का आगे नहीं चलाना चाहते, तथा इसी स्टेज पर खारिज करवाना चाहते हैं। पार्टी की पहचान वकील श्री रविन्द्र सिंह ने तथा प्रतिवादी की पहचान वकील श्री ईश्वर सिंह ने की, पार्टी द्वारा परस्पर पार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद-पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली पश्चात भुगतान शेष नगर में रखा है व वकील उपस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (झुंझुनूं)